



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर

अभियुक्तगण गिरफ्तार

बरामदगी-

- 01 की चैन(पीली धातु), कानों के कुण्डल(पीली धातु) व 5380/- रुपये नगदा
- 01 तमंचा .315 बोर
- 04 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 चाकू नाजायज
- 01 लोहे की रोड
- 01 मोटरसाइकिल (UP11 M 9503) (घटना में प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि दिनांक 16.10.2024 को वादी श्री विपिन कुमार उर्फ ओपिन s/o कर्मवीर सिंह गाँव माधोपुर थाना तीतरो सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा मोटरसाइकिल रुकवाकर वादी की पत्नि श्रीमती मौसम देवी से पहने कानों के सोने के कुण्डल, सोने की चैन, हाथ में पहने दो सोने के कड़े छीन लेना तथा अनुज से 9000 रुपये छीन लेना व जाते – जाते जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस बनाम 04 अभियुक्त अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों को चिन्हित किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 18.10.2024 को थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा रजबाहा तिराहा बाईपास पर सघन चैकिंग की जा रही थी तो चैकिंग के दौरान ग्राम मनहोरा की ओर से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखायी दी तो मोटर साइकिल सवार पुलिस टीम को चैकिंग करता देख मोटर साइकिल वापस मोडकर भागने का प्रयास करने लगे इस पर पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल सवारों के संदिग्ध प्रतीत होने पर टार्च की रोशनी मारकर रुकने का इशारा किया किन्तु नहीं रुके इस पर पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल पर बैठे चारों व्यक्तियों को घेरघोट कर तीतरो रजबाहा तिराहा बाईपास से मनहोरा की ओर जाने वाले रास्ते पर करीब 20 – 25 कदम की दूरी पर पकड लिया। जिनकी पहचान 01.विनीत उर्फ आदित्य पुत्र सोनू निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर नई कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 2.अजय कुमार पुत्र ओमकुमार निवासी ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 3.अश्वनी पुत्र राजू निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 4. अभिषेक पुत्र नथलू निवासी टाण्डा थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से लूटी गयी एक गले की चैन (पीली धातु), एक जोड़ी कानों के टाप्स (पीली धातु) व 5380/- रुपये नगद, एक तमचा 315 बोर मय 04 जिन्दा

कारतूस व एक चाकू व एक पहचान पत्र व एक लोहे की रॉड बरामद हुई। लूट की बरामदी व अवैध अस्लाह बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट बढोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम चारों कम पढे लिखे हैं व दिहाडी मजदूरी करते हैं, जो पैसा हमें दिहाडी मजदूरी से मिलते हैं उससे हमारा खर्चा नहीं चलता है। दिनांक 16.10.2024 को शाम करीब 19.00 बजे हमने टिकरौल राजवाहे पटरी से ग्राम मनोहरा के बीच से एक मोटरसाइकिल रुकवाकर एक महिला से सोने के कुण्डल, सोने की चैन, हाथ में पहने दो सोने के कडे तथा एक आदमी से 9000 रुपये लूट लिये थे। सोने के कडे हमसे रास्ते मे कही गिर गये थे, बाकी पैसा और जेवर हमने आपस मे बाँट लिये थे। तमंचा अभिषेक के पास था व चाकू अश्वनी के पास व लोहे की रोड अजय के पास थी जो हमने घटना मे प्रयुक्त की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. विनीत उर्फ आदित्य पुत्र सोनू निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर नई कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. अजय कुमार पुत्र ओमकुमार निवासी ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. अश्वनी पुत्र राजू निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
4. अभिषेक पुत्र नथलू निवासी टाण्डा थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 चैन (पीली धातु), कानो के कुण्डल (पीली धातु) व 5380/- रुपये नगदा
- 01 तमंचा .315 बोर
- 04 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 चाकू नाजायज
- 01 लोहे की रॉड
- 01 मोटरसाइकिल UP11 M 9503 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 विकास तोमर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 चन्द्रपालसिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 अय्यूब अली थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
4. है0का0 779 आकाश कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1091 हिमांशू कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
6. का0 1090 अमित कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
7. का0 2454 जितेन्द्र कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
8. का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
9. का चालक 1695 अहसान अली थाना तीतरो जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:19-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.10.2024 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र दयाचन्द निवासी अकबरगढ थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 14.10.24 की रात्री में अज्ञात चोर द्वारा हंस वाटिका कालोनी अम्बाला रोड से वादी की मो0सं0 नं0 यू0पी0 12 बी एस 8309 चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 306/2024 धारा- 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तगण 1.फरमान पुत्र जान आलम नि0 नदीम कालोनी गली नं0 -3 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2.जाहिद पुत्र फजल नि0 नदीम कालोनी गली नं0 3 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नदीम कालोनी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभि0गण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साईकिल हम दोनो ने दिनांक 14.10.2024 की रात्री में हंस वाटिका कालोनी अम्बाला रोड से चोरी की थी जिसके बेचने से पहले ही आज पुलिस ने हमसे बरामद कर ली ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. फरमान पुत्र जान आलम नि0 नदीम कालोनी गली नं0 -3 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. जाहिद पुत्र फजल नि0 नदीम कालोनी गली नं0 3 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ मो0सा0 रजि0 नं0 यू0पी0 12 बी एस 8309

अभि0 फरमान का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 86/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 489/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 196/23 धारा 506 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री विपिन कुमार शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 19.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.60 ग्राम अवैध स्मैक, 04 सिल्वर फोयल पन्नी, 01 इलैक्ट्रॉनिक काटा व तोल पर्ची बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशा तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.10.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त 1. सुभान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर को कस्बा गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11.60 ग्राम अवैध स्मैक, 04 सिल्वर फोयल पन्नी व 01 इलैक्ट्रॉनिक काटा व तोल पर्ची बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 223/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह स्मैक बाहर से सस्ते दामों में खरीदकर लाता हूँ और ट्रक ड्राइवर व नशा करने वाले राह चलते व्यक्तियों को ज्यादा दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं स्मैक को बेचने के लिये जा रहा था। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुभान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 313/11 धारा 147/323/504/506/452 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 223/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 11.60 ग्राम स्मैक नाजायज
- 04 सिल्वर फोयल पन्नी
- 01 इलैक्ट्रॉनिक काटा व तोल पर्ची

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 3.का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 4.का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.10.2024 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.आशु पुत्र डिप्टी 2. मोनू पुत्र डिप्टी निवासीगण ग्राम कल्लनहेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 25/21 मु0अ0सं0 408/20 धारा 323/324/504/506 भादवि माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) / न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द को उनके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1- आशु पुत्र डिप्टी निवासी ग्राम कल्लनहेडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- मोनू पुत्र डिप्टी निवासी ग्राम कल्लनहेडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

- 1- मु0अ0सं0 149/21 धारा 323/376डी/504/506 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना बडगाँव जिला स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 408/20 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना बडगाँव जिला स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
- 2- कां0 612 दीपक कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध अस्लाह रखने व तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त नदीम पुत्र गुलजार निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को फुलास अकबरपुर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 522/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह तमंचा राह चलते व्यक्ति से खरीदा था जिसे मैं अपने पास रोब गालिब करने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र गुलजार निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी –

01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- का0 2211 राहुल थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- का0 2398 अमरजीत थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2023 वादी मौ० अमजद पुत्र मौ० असलम निवासी कमेशपुर छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा मोटर साईकिल को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 513/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकत पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त घटना में प्रकाश में आए वांछित **अभियुक्त रुपेश उर्फ राहुल पुत्र शेरसिंह निवासी आमखेडी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.10.2024 को घण्टाघर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे पास मोटरसाईकिल नहीं थी मुझे मोटर साईकिल की जरूरत थी इस इसलिए मैंने अपने शोक पूरा करने के लिए यह मोटरसाईकिल चुराई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रुपेश उर्फ राहुल पुत्र शेरसिंह निवासी आमखेडी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार अभियुक्त रुपेश उर्फ राहुल का अपराधिक इतिहास:-

मु०अ०स० 68/24 धारा 307 भादवि थाना मंगलौर जनपद उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का० 2293 अंकित थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का० 283 हिमांशू थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध देशी तमंचा प्रदर्शित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.10.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त राहुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लंडौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को कांकरकुई अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-408/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लंडौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो पर रौब गालिब करने के लिए तमंचा अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राहुल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लंडौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 2380 हरवेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 27-09-2024 को वादी श्री संजय कश्यप पुत्र श्री मामचंद कश्यप निवासी गीतांजलि विहार, बेहट रोड, निकट भारत गैस गोदाम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के बाहर से मोटर साईकिल सुपर स्पेलेंडर न0 UP 11 BB 3593 चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-241/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त **इमरान पुत्र लुकमान निवासी ग्राम हसनपुर नौगवाँ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को दौराने चैकिंग जनता रोड से ढमोला पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल सुपर स्पेलेंडर बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं मूल निवासी ग्राम नौगवाँ का हूँ। किन्तु किराये पर रसूल पुर थाना कोतवाली देहात में रहता हूँ। मैं राज मिस्त्री का काम करता हूँ। मैंने यह मो0साईकिल करीब 20-22 दिन पहले काली मंदिर के पास गीतांजलि विहार से चोरी की थी और मुझे काम पर जाने के लिए एक मो0साईकिल की जरूरत थी इसलिए मैंने यह मो0साईकिल चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र लुकमान निवासी ग्राम हसनपुर नौगवाँ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटर साईकिल (सुपर स्पेण्डर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. का0 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का01354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कटान के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2024 को वादी श्री उ0नि0 के0पी0 सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित दाखिला अवैध कटान की फर्द व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-540/24 धारा 271/272/274/275/325 बी0एन0एस0 व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 1.शकील पुत्र शाहिद निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.शाकिब पुत्र फैयाज निवासी मौ0 अबुल माली कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3.समीर पुत्र रहीस निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द नजपद सहारनपुर 4.शाहिद पुत्र लीला उर्फ समीर निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 5. आशु पुत्र याकूब उर्फ बूब्बा निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 6.कैफ उर्फ भूरा पुत्र इमाम निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 7. जहीर पुत्र कालू निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 8.शमशेर पुत्र सफीक निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वारंटी/वांछित/गौकश आदि शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.10.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित 02 शातिर अभियुक्तगण 1.शाहिद पुत्र लीला उर्फ समीर निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. आशु पुत्र याकूब उर्फ बूब्बा निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को असगरिया मदर्से के पीछे पुजाया कालोनी के मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1.शाहिद पुत्र लीला उर्फ समीर निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. आशु पुत्र याकूब उर्फ बूब्बा निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 के0पी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त बंटी करनवाल पुत्र अतरसिंह नि0 धोबीघाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** वाद सं0 3232/24 मु0अ0सं0 188/21 धारा 4/20 आर्म्स एक्ट चालानी थाना मण्डी नियत दिनांक 8-11-2024 सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-12 जिला सहारनपुर मे अभियुक्त उपरोक्त को श्यामपुरी कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बंटी करनवाल पुत्र अतरसिंह नि0 धोबीघाट श्यामपुरी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 2018 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 548 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19 पब्ले अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में नशा तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.10.2024 को नशा तस्कर **अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र रविदत्त नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** को गागलहेडी से माजरी आने वाले पुराने पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 19 पब्ले दशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का 200 ML बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 224/24 धारा 60 आवकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र रविदत्त निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी, सहारनपुर

पुछताछ अभियुक्त – अभियुक्त दीपक पुत्र रविदत्त नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि मे यह शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में खरीदकर अपने गांव के आस-पास के क्षेत्र में महंगे दामों बेचता हूँ जिजसे मुझे काफी लाभ हो जाता है।

बरामदगी का विवरण

➤ 19 पब्ले दशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का 200 ML

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
- 2.है0का0 830 सोनू ढाका थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 3.का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.04.2023 को वादी द्वारा थाना नागल उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त लाला उर्फ साहिल पुत्र रियासत अली नि0 गांगनौली थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की सूचना पर थाना नागल पर मु0अ0स0-112/23 धारा 354 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट व 9एम/10 पोक्सों अधि0 पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1187/23 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्त लाला उर्फ साहिल पुत्र रियासत अली नि0 गांगनौली थाना नागल सहारनपुर को मु0अ0स0-112/23 धारा 354 भादवि व 3(2)5ए/एससी/एसटी एक्ट तथा 9एम/10 पॉक्सो अधि0 में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास व 15 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री रामकरण सिंह
पैरोकार का0-1860 दुष्यन्त कुमार थाना नागल